

**फर्द अहकाम**

बस्ती देवी बनाम विजय शर्मा  
उपखण्ड अधिकारी बस्ती, जयपुर

न्यायालय

98/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26 <sup>3</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील पार्सी उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अन्तर्गत से कमील पार्सी को अपरॉफिस के 2 के फोटो होने पर न्यायालय आदेश दिनांक 5.5.23 से वापस मुकाम प्रेषित पत्र पेश करने के अन्तर्गत वापस दिए जाने के बाद भी वापस मुकाम की कोई पत्रावली प्राप्त नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि पार्सी अपने पत्रावली पत्र को अग्रसर चलाने का कोई इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्सी के प्रेषित पत्र को आगे-चलाया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः पार्सी को प्रेषित पत्र में आगे की कार्यवाही शेष की जाती है। न्यायालय द्वारा दिनांक 3.12.21 को जारी अन्तर्गत आदेश प्राप्त होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से वापस होने का नकलील दाखिल रफ्तार हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बस्ती जिला-जयपुर